

सभी मूल्यवर्ग के गंदे और खराब नोटों, सिक्कों की स्वीकृति/विनिमय

18 जुलाई, 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक -मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों को निम्नलिखित की सुविधा देनी चाहिए:

A. देश के सभी हिस्सों में सभी बैंकों की शाखाओं को जनता को निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं अधिक जोर-शोर और सख्ती से प्रदान करनी चाहिए, ताकि उन्हें इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने की आवश्यकता न पड़े:

- मांग करने पर सभी मूल्यवर्ग के नए /अच्छी गुणवत्ता के नोट और सिक्के जारी करना।
- गंदे/खराब (कटे-फटे) / दोषपूर्ण नोटों को बदलना।
- लेन-देन या बदलने के लिए सिक्कों और नोटों को स्वीकार करना।

B. सभी शाखाओं को सभी कार्य दिवसों में जनता को बिना किसी भेदभाव के उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

C. किसी भी बैंक शाखा को अपने काउंटरों पर दिए गए छोटे मूल्य वर्ग के नोटों और / या सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए।

उपर्युक्त विषय पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, कृपया अपने शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।

टिप्पणी: अंतिम बार फरवरी, 2018 में अपडेट किया गया।